

प्रवर्तन निदेशालय

बनाम

नीरज त्यागी एवं अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 843 वर्ष 2024)

13 फरवरी 2024

[न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी* और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले]

विचारण के लिए मुद्दा

प्रवर्तन निदेशालय और एफआईआर की विवेचनाओं पर रोक लगाने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए अंतरिम आदेश क्या उचित थे।

हेडनोट

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 482- उच्च न्यायालय की शक्तियां - बैंकिंग वित्तीय संस्थान ने उधारकर्ताओं को ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं, हालांकि, उधारकर्ताओं ने चूक की- बैंकिंग संस्थान ने संपत्ति की नीलामी की और अपने बकाया की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के शेयर बेचे- उधारकर्ताओं द्वारा बैंकिंग संस्थान और उसके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विवेचना- अधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करना जिसमें एफआईआर और उससे उत्पन्न होने वाली परिणामी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई - उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर और ईसीआईआर की विवेचना पर रोक लगाने के आदेश पारित किए गए और जांच एजेंसियों को एफआईआर और ईसीआईआर में कथित संज्ञेय अपराधों की जांच करने से रोक दिया- औचित्य:

अभिनिर्धारित किया: धारा 482 के अंतर्गत निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती है- वैधानिक शक्ति का प्रयोग सावधानी से और दुर्लभतम मामलों में किया जाना चाहिए- उक्त आदेश स्थापित विधिक स्थिति की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए पारित किया गया है- यदि एफआईआर या परिवाद में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनाते हैं या यदि आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है व किसी गुप्त आशय इत्यादि से संस्थित की जाती है, तो कार्यवाही को रद्द करने की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किए बिना, उच्च न्यायालय जांच पर रोक नहीं लगा सकता था और जांच एजेंसियों को एफआईआर और ईसीआईआर में कथित संज्ञेय अपराधों की जांच करने से नहीं रोक सकता था, खासकर जब जांच बहुत शुरुआती चरण में थी- एक तरह से, जांच पर रोक लगाने और जांच एजेंसियों को धारा 482 के तहत याचिकाएं लंबित रहने तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के ऐसे आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किए बिना आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के व्यापक आदेश

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पारित किए- इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आक्षेपित आदेश विधिक स्थिति के अनुरूप नहीं होने के कारण, रद्द कर दिए गए- अभियुक्त के संदर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश समाप्त हो गया। [पैरा 20, 23-25]

न्यायिक अनुशासन का सिद्धांत:

अभिनिर्धारित किया: न्यायिक अनुशासन और न्यायिक सौहार्द की मांग है कि उच्च न्यायालयों को कानून का पालन करना चाहिए - न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा व मनमानेपन के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। [पैरा 24, 25]

केस लॉ जिनका हवाला दिया गया

निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, [2021] 4 एससीआर 1044: (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315- का अवलम्ब लिया गया।

के. विरुपाक्ष और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, [2020] 2 एससीआर 1020: (2020) 4 एससीसी 440; ए.पी. महेश सहकारी शहरी बैंक शेयरधारक कल्याण एसोसिएशन बनाम रमेश कुमार बंग और अन्य, [2021] 6 एससीआर 850: (2021) 9 एससीसी 152; तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य, [2017] 1 एससीआर 141: 2017 (2) एससीसी 779 - संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002।

कीवर्ड की सूची

एफआईआर को रद्द करना; जांच पर रोक; उच्च न्यायालय की शक्तियाँ; दुर्भावनापूर्ण या दुराशयपूर्ण आपराधिक कार्यवाही; जांच एजेंसियाँ; प्रवर्तन निदेशालय; अंतर्निहित शक्तियाँ; न्यायिक समिति; न्यायिक अनुशासन; असाधारण शक्तियाँ; काले धन को वैध बनाना।

निम्न से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपील की क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 843/2024

सीआरएमडब्ल्यूपी संख्या 10893/2023 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 13.07.2023 से

साथ में

आपराधिक अपील संख्या 844 और 845 वर्ष 2024

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागण- एस.वी. राजू, एसजी, सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता उदय खन्ना, रुद्र

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रताप, तल्हा अब्दुल रहमान, एम शाज़ खान, तुषार रंधावा, राहुल शर्मा, नंदिनी सिंह, अदनान यूसुफ, मुकेश कुमार मरोरिया।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण— अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, वरिष्ठ अधिवक्ता/ए.ए.जी., रंजीत कुमार, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, महेश अग्रवाल, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, श्री अंकित बनती, काजल दलाल, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री फौजिया शकील, रजत सिंह, सुश्री रुक्मिणी एस बोबडे, विवेक नारायण शर्मा, सार्थक चंद्र, अक्षय कुमार, सुश्री अनन्या साहू, दीपेश सिंह, अरुण प्रताप सिंह राजावत, तिषमपति सेन, सुश्री रिद्धि संचेती, अनुराग आनंद, मुकुल कुल्हारी, अनुभव रे।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी

1. अनुमति दी गई।
2. आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 10893/2023, 11837/2023 और 14053/2023 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित क्रमशः दिनांक 13.07.2023, 08.08.2023 और 13.09.2023 के अंतरिम आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं। आक्षेपित आदेशों के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने संबंधित प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित प्रत्यर्थियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज ईसीआईआर संख्या- ईसीआर/एचआईयू-आई/06/2023 की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है और इसके अतिरिक्त उक्त रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान उपरोक्त प्रत्यर्थियों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। सभी अपीलों एक-दूसरे से जुड़ी होने के कारण एक साथ सुनी गईं और उनका निर्णय इसी सामान्य निर्णय द्वारा किया जाना उचित होगा।
3. प्रत्यर्थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईएफएचएल) कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। आईएफएचएल जनता के पैसों को देखती है। आईएफएचएल द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए धन का प्रमुख स्रोत या तो अन्य बैंकों से प्राप्त ऋण है या गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में जनता से प्राप्त ऋण है। प्रत्यर्थी नीरज त्यागी आईएफएचएल के अध्यक्ष (विधिक) हैं और रीना बग्गा अधिकृत अधिकारी हैं।
4. मेसर्स कदम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (बाद में मेसर्स कदम के रूप में संदर्भित) शिप्रा समूह की संस्थाओं में से एक थी। मेसर्स कदम के पास सेक्टर 128, नोएडा में 73 एकड़ भूमि के एक भूभाग का उप-पट्टा था, जिसे इसे यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (इसके बाद वाईईआईडीए के रूप में संदर्भित) के पूर्वाधिकारी द्वारा आवंटित किया गया था। मेसर्स कदम के 100% इक्विटी शेयर में शिप्रा एस्टेट लिमिटेड के पास (98%); मोहित सिंह के पास (1%) और बिंदु सिंह के पास (1%) थे।

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

5. 2017-2020 के बीच, आईएचएफएल ने आवास/आवासीय परियोजनाएँ के निर्माण और/या विकास के प्रयोजनों के लिए शिप्रा होटल्स लिमिटेड, शिप्रा एस्टेट लिमिटेड और शिप्रा लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड सहित शिप्रा समूह/उधारकर्ताओं को 2,801 करोड़ रुपये की 16 ऋण सुविधाएं स्वीकृत की थीं। उक्त स्वीकृत ऋण के सापेक्ष लगभग 1995.37 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी। शिप्रा समूह द्वारा 22 गिरवी के समझौतों को निष्पादित करके वित्तीय सहायता सुरक्षित की गई थी, जिसके तहत विभिन्न कंपनियों के शेयर आईएचएफएल के पक्ष में गिरवी रखे गए थे। ऋण सुरक्षित करने के लिए शिप्रा समूह और मेसर्स कदम द्वारा आईएचएफएल के साथ मेसर्स कदम के 100% इक्विटी शेयर (अमूर्त रूप में) गिरवी रखने के लिए एक गिरवी समझौता भी किया गया था। गिरवी रखी गई संपत्तियों में नोएडा की 73 एकड़ जमीन भी शामिल है जो वाईईआईडीए(यीडा) द्वारा मेसर्स कदम को उप-किराए पर दी गई थी और गाजियाबाद में 'शिप्रा मॉल' नामक संपत्ति भी शामिल थी।

6. ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक होने के कारण, आईएचएफएल ने शिप्रा समूह को दिए गए सभी ऋणों 1763 करोड़ (लगभग) को वापस लेने के लिए नोटिस जारी किया था। उक्त नोटिस को शिप्रा समूह द्वारा एफएओ (ओएस) सीओएमएम 59/2021 दायर करके दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.04.2021 के आदेश के तहत कहा कि आईएचएफएल वसूली कार्यवाही के साथ आगे बढ़ सकता है, हालांकि शेयरों की बिक्री उचित बाजार मूल्य पर और पारदर्शी तरीके से की जानी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच डीआरटी और उच्च न्यायालय के समक्ष सरफेसी(एसएआरएफईएसआई) अधिनियम के तहत कई मुकदमें किए गए थे।

7. आईएचएफएल ने दिनांक 01.07.2021 को अंततः मेसर्स कदम के गिरवी रखे शेयरों को एम 3 एम इंडिया प्रा. लि. की सहायक कंपनी वन फाइनल स्टेप डेवलपर्स प्रा. लि. को 750 करोड़ रुपये में बेच दिया। चूँकि फाइनल स्टेप डेवलपर्स (जिसे पहले मेसर्स क्रिएटिव सोल टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के पास धन का कोई स्रोत नहीं था, मेसर्स कदम के शेयर खरीदने के लिए फाइनल स्टेप डेवलपर्स को एम 3 एम इंडिया द्वारा धनराशि प्रदान की गई थी। जो उसी दिन यानी 03.07.2021 को आईएचएफएल से ऋण लेने में कामयाब रही। इस प्रकार, आईएचएफएल से फाइनल स्टेप द्वारा मेसर्स कदम के शेयरों की खरीद को आईएचएफएल द्वारा ही वित्त पोषित किया गया था। गिरवी रखी गई संपत्तियां-गाजियाबाद में शिप्रा मॉल और नोएडा में 73 एकड़ का भूखंड भी अंततः शिप्रा समूह से अपने बकाया की वसूली के लिए आईएचएफएल द्वारा बेच दिया गया।

8. दिनांक 09.04.2023 को शिप्रा होटल्स के निदेशक अमित वालिया द्वारा आईएचएफएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 323, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए थाना इंदिरापुरम में एफआईआर संख्या 427/2023 दर्ज की गई। जिसमें अन्य बातों के साथ यह आरोप लगाया गया कि आईएचएफएल ने अवैध रूप से शिप्रा समूह को डिफॉल्टर के रूप में दिखाया था, ताकि वे अवैध तरीकों से समूह के स्वामित्व वाली संपत्तियों का दुर्विनियोग कर सकें। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आईएचएफएल ने एम 3 एम इंडिया के साथ साजिश रची और दस्तावेजों में हेराफेरी कर मेसर्स कदम की 73 एकड़ जमीन एम 3 एम इंडिया को 300 करोड़ रुपये में बेच दी, जबकि इसकी बाजार कीमत लगभग 4000 करोड़ रुपये थी। आईएचएफएल ने झूठे और जाली दस्तावेजों के आधार पर शेयरों और

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रतिभूतियों का भी कम मूल्यांकन किया था और शिप्रा एस्टेट कंपनी और उसके निदेशकों को भारी नुकसान पहुंचाया था।

9. दिनांक 15.04.2023 को, धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए आईएचएफएल, एम 3 एम इंडिया, मेसर्स कदम और मेसर्स बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड के खिलाफ यीडा (YEIDA) द्वारा भी थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में एफआईआर संख्या 197 सन् 2023 के रूप में दर्ज कराई गई जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया था कि आईएचएफएल को शेयर गिरवी रखने के लिए दिनांक 09.01.2018 को जारी अनुमति में यीडा (YEIDA) का पहला आरोप संरक्षित किया गया था, हालांकि, आईएचएफएल ने मेसर्स कदम के शेयरों को एम 3 एम इंडिया में स्थानांतरित करने से पहले यीडा (YEIDA) को न तो सूचित किया और न ही कोई अनुमति मांगी। इस प्रकार, अनुमति पत्र, क्षतिपूर्ति प्रमाणपत्र और उप-पट्टा दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों का वित्तीय संस्थान और उप-पट्टेदार द्वारा उल्लंघन किया गया, जिसके कारण यीडा (YEIDA) को लगभग 200 करोड़ रुपये की वित्तीय हानि हुई थी।

10. दिनांक 22.07.2023 को, शिप्रा ग्रुप के अधिकृत प्रतिनिधि मोहित सिंह द्वारा आईएचएफएल के अधिकृत अधिकारी के रूप में रीना बग्गा और अन्य के खिलाफ थाना कविनगर गाजियाबाद में भा.दं.सं. की धारा 420, 120 बी और पंजीकरण अधिनियम की धारा 82 के तहत अपराध के लिए एक और एफआईआर सं. 611/2023 दर्ज की गई जिसमें आरोप है कि "शिप्रा मॉल", जो आईएचएफएल के पास गिरवी रखी गई संपत्तियों का एक हिस्सा था, को झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर वसूली कार्यवाही के तहत 551 करोड़ रुपये की राशि में हिमरी एस्टेट प्रा.लि. बेच दिया गया है जबकि जमीन की वास्तविक कीमत 2000 करोड़ से अधिक थी। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त आरोपियों द्वारा शिप्रा मॉल का वास्तविक मूल्य न दिखाकर अवैधताएं की गईं और इससे शिप्रा समूह को भारी नुकसान हुआ।

11. चूंकि आईएचएफएल और उसके अधिकारियों के खिलाफ विभिन्न एफआईआर दर्ज की गईं, इसलिए उनके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (आपराधिक) 166 सन् 2023 **(गगन बंगा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य)** दायर करके इन्हें चुनौती दी गई।

12. उक्त रिट याचिका क्रमांक 166/2023 के लंबित रहने के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उक्त एफआईआर सं. 197/2023 और 427/2023 के आधार पर मामले की विवेचना करने के लिए दिनांक 09.06.2023 को दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत ईसीआईआर सं. ईसीआईआर/एचआईयू-1/06/2023 दर्ज किया गया।

13. अपीलकर्ता-ईडी के अनुसार, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 166/2023 और संबद्ध अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए दिनांक 04.07.2023 को निम्नलिखित आदेश पारित किया।

"1 से 3.... ..

4. रिट याचिका (आपराधिक) सं. 166/2023 में पारित आदेश दिनांकित 28.04.2023

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

द्वारा विभिन्न राज्यों में उधारकर्ताओं द्वारा संस्थित तीन ऐसी एफआईआर, अर्थात् एफआईआर सं. 646/2022 दिनांकित 26.10.2022 पंजीकृत थाना टीटागढ़, एफआईआर सं. 427/2023 दिनांकित 09.04.2023 पंजीकृत थाना इंदिरापुरम और एफआईआर सं. 25/2021 दिनांकित 27.01.2021 पंजीकृत थाना ईओडब्ल्यू, दिल्ली में आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दिया।

5. इसके अलावा एफआईआर सं. 197/2023 दिनांकित 15.04.2023 यीडा (YEIDA) द्वारा थाना बीटा-2, ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. में दायर की गई थी, जिसमें थाना इंदिरापुरम में पंजीकृत उपरोक्त एफआईआर सं. 427/2023 दिनांकित 09.04.2023 को भी कुछ अतिव्यापी तथ्यों के साथ संदर्भित किया गया है। बताया गया है कि इन दो संबद्ध एफआईआर यानी एफआईआर सं. 427/2023 और 197/2023 के आधार पर अब ईडी ने दिल्ली में ईसीआईआर सं. ECIR/HIU-I/06/2023 दर्ज किया है। याचिकाकर्ताओं ने अब उक्त एफआईआर और ईसीआईआर को चुनौती दी है।

6. इन परिस्थितियों में, क्योंकि इसमें तथ्यों पर निर्णय भी शामिल हो सकता है, हम याचिकाकर्ताओं को आज से दो सप्ताह के भीतर सभी चार एफआईआर और ईसीआईआर को चुनौती देने के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालयों से संपर्क करने की अनुमति देना उचित समझते हैं। साथ ही उच्च न्यायालयों से निवेदन करते हैं कि याचिकाओं पर प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर शीघ्रता से विचार और निर्णय करें।

7. हम संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भी मामले को देखने, एफआईआर की सामग्री के संबंध में याचिकाकर्ताओं की दलीलों की जांच करने और एक महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार उचित कदम उठाने निर्देश देते हैं।

8. संबंधित याचिकाओं के अंतिम निपटान तक, रिट याचिका (आपराधिक) सं. 166/2023 में पारित अंतरिम आदेश दिनांकित 28.04.2023 उसमें उल्लिखित तीन एफआईआर के विषय में जारी रहेगा।

9. जहां तक यीडा (YEIDA) द्वारा दायर एफआईआर सं. 197/2023 दिनांकित 15.04.2023 और ईसीआईआर जिसका क्रमांक ECIR/HIU-I/06/2023 है, का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी याचिकाओं के अंतिम निस्तारण तक याचिकाकर्ता वित्तीय संस्थान और इसके अधिकारी, प्रतिनिधि और प्रबंधक के खिलाफ कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठाया जाएगा, और याचिकाकर्ताओं के पास कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने का भी विकल्प होगा, जिस पर उच्च न्यायालय इसकी मेरिट के आधार पर विचार करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह अंतरिम संरक्षण केवल याचिकाकर्ता वित्तीय संस्थान और उसके अधिकारियों, प्रतिनिधियों और प्रबंधकों पर लागू होगा, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं।”

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

14. इसके बाद प्रत्यर्थी-नीरज त्यागी और आईएचएफएल ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 10893/2023 दायर करके भा.दं.सं. की धारा 420 को मनमाना और भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित करने के लिए उचित रिट, आदेश और निर्देश जारी करने की मांग की। और एफआईआर सं. 197/2023 दिनांकित 15.04.2023 को रद्द करने की मांग की तथा ईडी द्वारा उसके आधार पर शुरू की गई परिणामी कार्यवाही इसीआईआर सं. ECIR/HIU-I/06/2023 को भी रद्द करने की मांग की। इसी तरह, प्रत्यर्थी रीना बग्गा और आईएचएफएल ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 11837/2023 के रूप में एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर सं. 611/2023 और इसके साथ ही उक्त एफआईआर के अनुसरण में किसी भी प्राधिकरण/एजेंसी द्वारा की गई सभी परिणामी कार्रवाइयों को भी रद्द करने की मांग की। प्रत्यर्थी एम 3 एम इंडिया प्रा. लिमिटेड और कदम डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड ने आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 14053/2023 दायर करके वैसे ही अनुतोष की मांग की जैसी रिट याचिका सं. 10893/2023 में मांगी गई है।

15. उच्च न्यायालय ने दिनांक 13.07.2023 को आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 10893 सन् 2023 में निम्नलिखित आक्षेपित आदेश पारित किया :-

"19. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत देने के लिए प्रार्थना की है। तदनुसार, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4 जुलाई, 2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं को दी गई सुरक्षा के अनुसरण में हुए, अवमानना याचिका (सिविल) सं. 774 सन् 2023 का निस्तारण करते हुए, यह प्रावधान किया जाता है कि प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा थाना बीटा -2, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर में भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत दायर एफ.आई.आर. सं. 197 सन् 2023 दिनांकित 15.4.2023 और प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा पंजीकृत परिणामी इसीआईआर सं. ECIR/HIU-I/06/2023 में अधिकारियों को समन सहित आगे की कार्यवाही पर तब तक रोक रहेगी जब तक यह केवल याचिकाकर्ताओं तक सीमित है और उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।"

16. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या- 10893/2023 में दिनांक 13.07.2023 का आदेश पारित करने के बाद आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 11837/2023 में दिनांक 08.08.2023 को और आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 14053/2023 में दिनांक 13.07.2023 को अन्य आक्षेपित आदेश पारित किये। परिणामस्वरूप, एफआईआर संख्या 197/2023, एफआईआर संख्या 611/23 के साथ-साथ इसीआईआर संख्या इसीआईआर/एचआईयू-आई/06/2023 की कार्यवाही को संबंधित प्रत्यर्थियों के समक्ष उक्त तीन रिट याचिकाओं का उच्च न्यायालय में लंबित रहने के कारण रोक दिया गया है और संबंधित प्रत्यर्थी, एफआईआर में जो भी आरोपी हैं, उन्हें उनके खिलाफ की जाने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचाया गया है। वर्तमान अपीलें उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित आदेशों पर आधारित हैं।

17. तीनों अपीलों में अपीलकर्ता ईडी की ओर से उपस्थित एसजी, श्री राजू ने दृढ़तापूर्वक कहा कि इस न्यायालय ने गगन बंगा के मामले में 04.07.2023 को आदेश पारित किया था, जिसमें इसीआईआर की

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

कार्यवाही और ईडी को सुने बिना संबंधित प्रत्यर्थियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी गई थी, और इसलिए ईडी ने एक समीक्षा याचिका दायर की है, जो इस न्यायालय के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने भी बिना कोई ठोस कारण बताए, इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 04.07.2023 के उक्त आदेश का पालन करने की आड़ में ईसीआईआर और एफआईआर की उक्त कार्यवाही पर रोक लगा दी। *निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम राज्य महाराष्ट्र और अन्य*¹ में तीन जजों की बेंच के फैसले पर अवलंब दिखाया और उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने जांच पर रोक लगाने या जांच एजेंसियों को आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने वाली अदालतों की प्रथा की कड़ी निंदा की है। इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए विवादित आदेश उक्त स्थापित कानूनी स्थिति के अंतर्गत हैं, इसलिए उन्हें तुरंत रद्द एवं अपास्त कर दिया जाना चाहिए।

18. हालाँकि, संबंधित अपीलों में प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायालय को एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत और उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के समक्ष हुई कार्यवाही में ले गए और उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी-शिकायतकर्ता शिप्रा समूह सभी मामलों में वित्तीय संस्थान और उसके अधिकारियों के बीच भय पैदा करने के लिए आपराधिक कार्यवाही में विफल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय इस न्यायालय द्वारा गगन बंगा के मामले में पारित आदेश के तहत वित्तीय संस्थान और उसके अधिकारियों की सही रक्षा की थी जिन्होंने उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था। इस न्यायालय के *के. विरुपाक्ष और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य*² और ए.पी. महेश सहकारी शहरी बैंक शेयरधारक कल्याण एसोसिएशन बनाम रमेश कुमार बंग एवं अन्य³, के निर्णयों पर अवलंब लिया गया जिसे निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामले में प्रस्तुत किया गया, असाधारण मामलों में कार्यवाही लंबित रहने तक आरोपियों के खिलाफ कठोर कदम न उठाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के लिए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया गया है, विशेषतः जब उधारकर्ताओं के खिलाफ एसएआरएफईएसआई अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी। उनके अनुसार, उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध वैधानिक उपचारों को दरकिनार करते हुए या ऐसी कार्यवाही में असफल होने पर, उधारकर्ताओं को केवल अपने मन में डर पैदा करने के लिए वित्तीय संस्थान या उसके अधिकारियों या खरीदारों पर मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो अन्यथा राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकता है।

19. प्रारम्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित अंतरिम आदेश इस न्यायालय द्वारा गगन बंगा के मामलों में दिनांक 04.07.2023 को पारित आदेश के तहत पारित किए गए हैं। यह धारणा पैदा कर रहा है कि विवादित आदेश उक्त आदेश को आगे बढ़ाने के लिए पारित किए गए थे, हालांकि इस न्यायालय ने उक्त आदेश पारित किया था और उच्च न्यायालय को अपनी योग्यता के आधार पर रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया था।

1 [2021] 4 SCR 1044 : (2021) SCC Online SC 315

2 [2020] 2 SCR 1020 : (2020) 4 SCC 440

3 [2021] 6 SCR 850 : (2021) 9 SCC 152

अस्वीकरण: “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

20. हमारी राय में, यह गंभीर चिंता का विषय है कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में तय की गई कानूनी स्थिति के बावजूद, उच्च न्यायालय ने उक्त तय कानूनी स्थिति की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए संबंधित एफआईआर और ईसीआईआर की जांच पर रोक लगाने वाले आदेश पारित किए हैं। एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोपों पर कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम किए बिना प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है, या यदि आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप दुर्भावनापूर्ण, गुप्त उद्देश्य से स्थापित आदि, से पाई जाती है तो हमारी राय है कि उच्च न्यायालय जांच पर रोक नहीं लगा सकता था और जांच एजेंसियों को एफआईआर और ईसीआईआर में कथित संज्ञेय अपराधों की जांच करने से नहीं रोक सकता था, खासकर जब जांच बहुत प्रारंभिक अवस्था से की गई थी। यह दोहराने की जरूरत नहीं है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां उच्च न्यायालय को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं। वैधानिक शक्ति का प्रयोग सावधानी से और दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। एक तरह से, जांच पर रोक लगाने और जांच एजेंसियों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं लंबित रहने तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के ऐसे आदेश पारित करके, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किए बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिये व्यापक आदेश दिए हैं।

21. इस न्यायालय *तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य के मामले* में "धारा 482 और 438 सीआरपीसी की रूपरेखा का निस्तारण करते समय, इस बात पर जोर दिया गया था कि धारा 482 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही में आरोपी को गिरफ्तार न करने या आरोपी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश, धारा 438 सीआरपीसी के तहत एक आदेश के समान होगा।, यहां तक की उक्त प्रावधान की शर्तों की संतुष्टि के बिना, जो कानूनी रूप से अस्वीकार्य है।

22. हाल ही में तीन जजों की बेंच ने निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर (उपरोक्त) के मामले में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत लंबित याचिकाओं के आरोपियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाने या उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश देने की उच्च न्यायालयों की प्रथा की कड़ी निंदा करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिन्हें यहां संदर्भ के लिए पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है: -

"निष्कर्ष"

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मुख्य/आधारभूत मुद्दे पर हमारे अंतिम निष्कर्ष, क्या उच्च न्यायालय द्वारा जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित करना उचित होगा और/या "कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा", धारा 482 सीआरपीसी और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान और किन परिस्थितियों में और क्या उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को गिरफ्तार न करने या "कोई कठोर कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित होगा या जांच के दौरान या धारा 173 सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट/चार्ज-शीट दाखिल होने

तक, जबकि धारा 482 सीआरपीसी और/या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खारिज करना/निस्तारण करना/ संज्ञान न लेना/ आपराधिक कार्यवाहियों को समाप्त न करना/शिकायत/ एफआईआर के लिये हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

33.1. किसी संज्ञेय अपराध की जांच करने के लिए पुलिस के पास दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है।

33.2. अदालतें किसी भी संज्ञेय अपराध की जांच को विफल नहीं करेंगी।

33.3. यह केवल उन मामलों में है जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के संज्ञेय अपराध या अपराध का खुलासा नहीं किया गया है, अदालत जांच की अनुमति नहीं देगी।

33.4. रद्द करने की शक्ति का प्रयोग सावधानी से किया जाना चाहिए, जैसा कि "दुर्लभतम मामलों में" देखा गया है, (मृत्युदंड के संदर्भ में गठन के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए)।

33.5. किसी एफआईआर/शिकायत की जांच के दौरान उसे निरस्त की मांग की गई है, अदालत इसकी जांच शुरू नहीं कर सकती जबतक कि आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या आरोप से अन्यथा को एफआईआर/शिकायत में उल्लेख किया गया।

33.6. प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

33.7. किसी शिकायत/एफआईआर को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

33.8. आमतौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और किसी को दूसरे क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए।

33.9. न्यायपालिका और पुलिस के कार्य परस्पर पूरक हैं, अतिव्यापी नहीं।

33.10. असाधारण मामलों को छोड़कर, जहां हस्तक्षेप न करने से न्याय की हानि होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

33.11. न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

33.12. प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों के विषय में जानकारी दी जानी चाहिए। इसलिए, जब पुलिस की जांच जारी है, तो अदालत को एफआईआर में आरोपों के गुण-दोष पर नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफआईआर जांच के लायक नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जांच के बाद, यदि विवेचक को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई तथ्य नहीं है, तो विवेचक विद्वान मजिस्ट्रेट के

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

समक्ष एक उचित रिपोर्ट/संक्षिप्त विवरण दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है।

33.13. सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक कठिन और अधिक परिश्रमी कर्तव्य डालता है।

33.14. साथ ही, हालाँकि यदि अदालत उचित समझती है, तो रद्द करने के मापदंडों और कानून द्वारा लगाए गए आत्म-संयम को ध्यान में रखेगी, विशेष रूप से आरोपी कपूर [आर.पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, 1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 21: एआईआर 1960 एससी 866] और भजन लाल [हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्लिमेंट (1) एससीसी 335: 1992 एससीसी (क्रि.) 426] मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर एफआईआर/शिकायत को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र है।

33.15. जब कथित आरोपी द्वारा एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की जाती है और अदालत जब सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करती है, तो उसे केवल इस बात पर विचार करना होता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध का खुलासा करते हैं अथवा नहीं। अदालत को गुण-दोष के आधार पर इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपों के गुण-दोष के कारण संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं और अदालत को जांच एजेंसी/पुलिस को एफआईआर में आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होगी।

33.16. उपरोक्त पैरामीटर लागू होंगे और/या सीआरपीसी की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रद्द करने की याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। हालाँकि, रद्द करने की याचिका के लंबित रहने के दौरान जांच पर रोक का अंतरिम आदेश सावधानी के साथ पारित किया जा सकता है। इस तरह के अंतरिम आदेश को नियमित, आकस्मिक और/या यंत्रवत् पारित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आम तौर पर, जब जांच चल रही हो और तथ्य अस्पष्ट हों और पूरे साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हों, तो उच्च न्यायालय को गिरफ्तारी न करने या "कोई कठोर कदम न अपनाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से स्वयं को रोकना चाहिए और आरोपी को सक्षम अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। भारत के संविधान की धारा 482 सीआरपीसी और/या अनुच्छेद 226 के तहत रद्दीकरण याचिका को खारिज/निपटान करते समय, उच्च न्यायालय का जांच के दौरान या जांच पूरी होने तक और/या अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दायर होने तक सीआरपीसी की धारा 173 के तहत गिरफ्तारी न करने और/या "कोई कठोर कदम नहीं उठाने" का आदेश पारित करना उचित नहीं है।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

33.17. ऐसे मामले में भी जहां उच्च न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय है कि सीआरपीसी की धारा 482 और/या अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय व्यापक मापदंडों पर विचार करने के बाद आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगाने के लिए एक असाधारण मामला बनता है। यहां ऊपर उल्लिखित भारत के संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय को संक्षिप्त कारण बताना होगा कि ऐसा अंतरिम आदेश क्यों आवश्यक है और/या पारित किया जाना आवश्यक है ताकि यह न्यायालय द्वारा विवेक के प्रयोग को प्रदर्शित कर सके और उच्च मंच इस पर विचार कर सके कि क्या था ऐसा अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय के साथ विचार-विमर्श किया गया।

33.18. जब भी उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मापदंडों के भीतर "कोई कठोर कदम नहीं उठाए जाने" का अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो उच्च न्यायालय को यह स्पष्ट करना चाहिए कि "कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए जाने" से इसका क्या मतलब है क्योंकि "कोई भी कठोर कदम नहीं उठाए जाने" शब्द को बहुत अस्पष्ट और/या व्यापक कहा जा सकता है जिसे गलत समझा जा सकता है और/या गलत तरीके से लागू किया जा सकता है।"

23. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से गलत और इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी किए गए उक्त दिशानिर्देशों के विपरीत हैं। प्रतिवादियों-अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्तागणों द्वारा यह प्रस्तुत करने की मांग की गई थी कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सिविल प्रकृति के हैं, और उन्हें आपराधिक प्रकृति का रंग दिया गया है। उनके अनुसार, जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है, एसएआरएफआईएसआई (SARFAESI) अधिनियम के तहत अपने बकाया की वसूली के लिए शिकायतकर्ता-उधारकर्ता के खिलाफ आईएचएफएल (IHFL) द्वारा की गई कार्रवाई के अनुसार पक्षकारों के बीच कई कार्यवाही हुई थीं, और उधारकर्ता मेसर्स शिप्रा ने उक्त कार्यवाही में विफल होने के बाद गुप्त उद्देश्यों से शिकायतें दर्ज की थीं। हम उक्त प्रस्तुतियों के गुण-दोष की जांच करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं क्योंकि संबंधित प्रतिवादियों-अभियुक्तों द्वारा ऐसे आधार पर एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली रिट याचिकाएं उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए लंबित हैं। उच्च न्यायालय के लिए यह विकल्प होगा कि वह याचिकाओं के गुण-दोष की जांच करे और कानून के अनुसार उस पर निर्णय ले।

24. अधिक विस्तार किए बिना, इतना कहना पर्याप्त है कि न्यायिक सौहार्द और न्यायिक अनुशासन की मांग है कि उच्च न्यायालयों को कानून का पालन करना चाहिए। न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को उसके रंग और इच्छा के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।

25. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश तय कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य हैं और एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं। वर्तमान अपीलों में संबंधित प्रतिवादियों-अभियुक्तों के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश तत्काल निरस्त किये जाते हैं।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

26. हम स्पष्ट कर सकते हैं कि हमने उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है, और यह कि यह संबंधित प्रतिवादियों-अभियुक्तों के लिए सभी कानूनी दलीलें स्वीकार करने या कानून के अनुसार उनके लिए उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा लेने के लिए विकल्प होगा।

27. तदनुसार अपील को अनुमति दी जाती है।

हेडनोट्स निधि जैन द्वारा तैयार किया गया

वाद का परिणाम:

अपील को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण: "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"